

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में दिवालीखाल-किमोली मोटर मार्ग को किमोली-नारायणबगड़ तक जोड़ने वाले मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.522 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 9.100 किमी०।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 25/02/2015 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से वन दरोगा श्री राजेन्द्र प्रसाद देववाल, राजस्व विभाग की ओर से राजस्व उप निरीक्षक श्री रोयरा, प्रस्तावक विभाग की ओर से कनिष्ठ अभियन्ता श्री प्रेम चन्द पंत एवं सर्वेयर श्री डी.एस. शकुनी द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 4.147 हे०, सिविल भूमि आरक्षित, वन पंचायत भूमि 2.222 हे०, सिविल एवं वन पंचायती भूमि खसरा नम्बरों का परिक्षण राजस्व अभिलेखों में किये जाने पर यह भूमि श्रेणी 9-3 ख.ग एवं ड के अन्तर्गत आती है। स्थल पर वृक्ष खड होने एवं वन स्वरूप होने के कारण प्रस्तावित वन भूमि का वन अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करनी अनिवार्य है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है। (अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है)। प्रस्तावित मार्ग का निर्माण अति पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाना अति आवश्यक है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गैरसैण।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गैरसैण।

अधीनस्थ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गैरसैण।

राजस्व उप निरीक्षक

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
नारायणबगड़

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गौचर, उप वन प्रभाग, गोपेश्वर,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी

बदरनाथ वन भाग
गोपेश्वर (चमोली)

अमित सिंह नेगी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 22 नवम्बर, 2013

विषय-

वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 24 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग०अ०/कु०अ०/ल०नि०वि०, पौड़ी/अल्मोडा द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु, संलग्न विवरणानुसार, उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 132.75 किमी० + 08 सेतु तथा सागत ₹ 1468.00 लाख है, पर टी०ए०सी० वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 1462.95 लाख (₹ चौदह लाख अठारह हजार पचास रुपये मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में संलग्नक के कॉलन सं०-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 24 कार्य हेतु ₹ 2.40 लाख (₹ दो लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदनुसार शासनादेश सं०-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें इंडियन आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्तोरमेन्ट क्लस-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22-लेखाधीनक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/मदन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

22/11/2013

13/12/13

मिहनी

देश संख्या- 5927 / 111(2) / 13-31(प्रारंभ) / 2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 का संलग्नक

10	मा मुख्यमंत्री घोषणा सं०-42/2013 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत संगलाकोटी भैरवांव गुडिण्डा मोटर मार्ग का तिलखोली जंजेड़ी तक विस्तारीकरण का कार्य।	12.00	191.10 (₹ 72.30 + ₹ 118.80) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
11	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं०-830/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में दिवालीखाल- किमोली मोटर मार्ग का नारायणबगड से जोड़ने के लिए 10 कि०मी० मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	10.00	96.21 (₹ 58.50 + ₹ 37.71) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
12	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं०-116/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत एम०डी०डी०ए० शिवलोक कालोनी को दीपनगर से जोड़ने हेतु रिस्पना नदी पर मोटर सेतु का निर्माण कार्य।	20.00 mt	1.60	0.10
13	मा मुख्यमंत्री घोषणा सं०-722/2012 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड चौखुटिया में तड़ागताल में (ढनाण के पास 125 मी० विस्तार के) झूला पुल का निर्माण।	125 mt	7.94 (₹ 7.51 + ₹ 0.43) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
14	मा मुख्यमंत्री घोषणा सं०-319/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी में ग्राम लक्ष्मपुर (नकैल) को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु कच्चे मार्ग का सुधार/ डामरीकरण एवं सुखी नदी पर 60.00 मी० स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	3.00 + 60mt	29.55 (₹ 4.71 + ₹ 24.84) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
15	मा मुख्यमंत्री घोषणा सं०-317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी० 0.00 (देवल मल्ला) से किमी० 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनर्निर्माण सुखी नदी पर काजवे का निर्माण।	2.00	19.46 (₹ 2.90 + ₹ 16.56) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
16	मा मुख्यमंत्री घोषणा सं०-377/2013 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-कपकोट में रेवती नदी (कपकोट) के स्थान हीरुकला के समीप 30 मी० पैदल लोह सेतु का निर्माण।	30mt	1.20	0.10
17	जनपद चमोली के विकासखण्ड नारायणबगड में कुलसारी-आलकोट-धारवारम मोटर मार्ग का ग्राम गैरवारम तक विस्तार हेतु कि०मी० 2.00 में निसिंग लिंक मोटर सेतु का निर्माण कार्य।	48 mt	3.36	0.10
18	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड-दुगडडा में सिद्धबली मंदिर को जाने वाले पुराने मार्ग गाड़ीघाट ग्रास्टनगंज के मध्य खो नदी पर 105 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेसड सेतु का निर्माण कार्य।	105 mt	11.62	0.10
19	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-243/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत करड़ा शिकारु मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	4.00	38.52 (₹ 3.32 + ₹ 35.20) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10

मिनि

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो भित्तव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(xiii)- उक्त 24 कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 2.40 लाख का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, के अन्तर्गत अलॉटमेंट आई0डी0 सं0-S1311220270 दिनांक 22-11-2013 द्वारा आपको आबंटित कोड सं0- 4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर भूजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 535(A)/XXVII(2)/2013 दि0: 22 नवम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
प्रभारी सचिव

संख्या:- (1)/11(2)/13-31(प्र0आ0)/2013 तददिनांक।

तिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री कार्यालय घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लो.नि.वि.0, उत्तराखण्ड।
10. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो.नि.वि.0, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड बुक।

पत्रांक 497 / बजट दि 6 2014
0 सेलमनको सहित कामा जति सं0 आ0 गैरसैन को
आवश्यक कार्रवाई हेतु अर्पित
② कामा जति सं0 आ0 (प्र0)
③ स्वच्छता अभियान

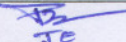
आज्ञा से.

(महिमा)
अनु सचिव

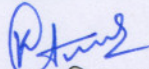
अधीक्षण अभियन्ता
7 वॉ वृत्त लो 0 वि 0
गोपेश्वर (चमोली)

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में दिवालीखाल-किमोली मोटर मार्ग को किमोली-नारायणबगड़ तक जोड़ने वाले मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.522 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 9.100 किमी०।

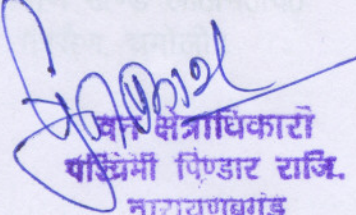
लैन्ड शेड्यूल (आरक्षित वन भूमि)

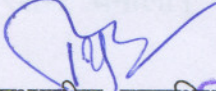
जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे०)
चमोली	पिण्डरवार-III क०सं०-9(अ) तथा पिण्डरवार-III क०सं०-9(ब)	 0.525 Km	 0.3675 हे०	5925.00	7.00	4.147
		5.4 Km	3.78 हे०			
		मलवा निस्तारण हेतु डम्पिंग यार्ड का निर्माण				
	कुल योग					4.257


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


अधिश्रमसी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


प्रभारी वन अधिकारी
पिण्डरवार राजि.
नारायणबगड़


प्रभारी वन अधिकारी
मोपेश्वर चमोली।
मोपेश्वर (चमोली)

प्रारूप-22

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में दिवालीखाल-किमोली मोटर मार्ग को किमोली-नारायणबगड़ तक जोड़ने वाले मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.522 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बांज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं:-

क्र० सं०	भूमि की श्रेणी	वन ब्लॉक / कम्पार्टमेन्ट / खसरा नम्बर	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग					
					10-20	20-30	30-40	40-50	50 से अधिक	योग
1	आरक्षित वन भूमि	पिण्डरवार- II क०न०-9(अ) तथा पिण्डरवार- II क०न०-9(ब)	बांज	Quercus leocotiphora	26	4	6	8	3	47
2	सिविल सोयम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	वन पेचायत	किमोली	बांज	Quercus leocotiphora	471	74	40	22	26	633
4	नाप भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल योग				497	78	46	30	29	680

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बांज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

प्रभागीय वन अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
बहिनी पिण्डार राय
नारायणबगड़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में प्रस्तावित मोटर मार्ग
 गैरसंज में दिवालीखाल किमोली 9.100-24 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु इस वन
 पंचायत के स्वामित्व की 2.265 हे० वन पंचायत भूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु
 प्रस्तावित की गई है। को मार्ग निर्माण प्रयोजन के लिए देने हेतु सहमत
 सहमति प्रदान करती है। अतः इस सम्बन्ध में वन पंचायत जनहित में
 शासन/ विभागीय निर्देशों/ शर्तों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु
 वचनबद्ध है।

2.265 हे० वन पंचायत

हस्ताक्षर

ह० सरपंच



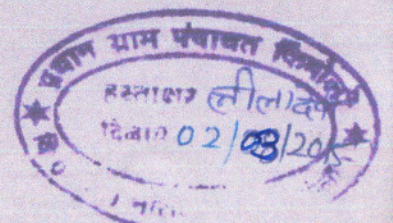
प्रारूप-30.4

दिनांक 2/3/2015 को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत किमोली

क्रमांक	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	किमोली गजिबिह	
2	" गोर बिह	
3	" राम बिह	
4	" कुलाल बिह	
5	" सिधुन बिह	
6	" राम बिह	
7	" महेबिह बिह	
8	" गोर बिह	
9	" भोगम बिह	
10	" कलमाण बिह	
11	" कुवर बिह	
12	" गुलमील बिह	
13	" उदय बिह	
14	" लैल बिह	
15	" नारायण बिह	
16	" चन्द बिह	
17	" गोकुल बिह	
18	" अच्युत बिह	
19	" गजबिह	
20	" बिरेन्द्र नेगी	
	" प्रकाश लाल	

ग्राम प्रधान

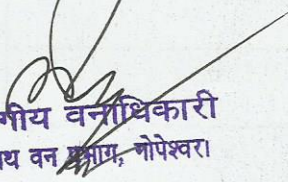


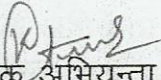
प्रारूप-16

योजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में दिवालीखाल-किमोली मोटर मार्ग को किमोली-नारायणबगड तक जोड़ने वाले मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.522 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 9.100 किमी०।

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण।

भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे० में)
आरक्षित वन भूमि	5925.00	7.00	4.147
सिविल सोयम भूमि	—	—	—
वन पंचायत भूमि	3175.00	7.00	2.222
आरक्षित व वन पंचायत भूमि (मलवा निस्तारण हेतु डम्पिंग यार्ड का निर्माण)	—	—	0.153
वन भूमि का योग	9100.00	7.00	6.522
नाप भूमि	—	—	—
कुल योग-	9100.00	—	6.522 हे०


प्रभागीय वनीधिकारी
बद्रीनाथ वन विभाग, नोपेश्वरा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


अभियन्ता
खण्ड लो०नि०वि०
चमोली।

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में दिवालीखाल-किमोली मोटर मार्ग को किमोली-नारायणबगड़ तक जोड़ने वाले मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.522 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 9.100 किमी०।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 25/02/2015 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क्र० सं०	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक / कम्पाटमेंट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग										
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	योग
1	आरक्षित वन भूमि	पिण्डरवार-III क०सं०-9(अ) तथा पिण्डरवार-III क०सं०-9(ब)	बांज	SYN. B. Incana Roxb.	172	26	04	06	08	01	01	01	—	—	219
			तिलोज	Quercus dilatata Roxb.	23	04	02							01	30
			देवदार	Cedrus deodara Loud.	01	01									02
			अँयार	Lyonia ovalifolia (Wal.) Brade	05										05
			काफल	Myrica esculenta Buch-Ham. & Don.	01										01
			बुराँश	Rhododendron arboreum Smith	12										12
2	सिविल सोयम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	वन पंचायत	किमोली	बांज	—	245	471	74	40	22	05	03	02	03	13	878
			बुराँश	—	55	102	31	11	02					01	202
			तिलोज	—	211	155	74	20	06	01		01	02		470
			मेहल	Pinus Pashia Buch-Ham.	05	07	03	01							16
			अँयार	—	42	13	09								64
			खरसू	—	02	04	03	02	02					01	14
			चीड़	Pinus Khasi Burghii Saing	02										02
			कुकाट	—	59	43	02	05	01						110
4	संरक्षित वन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग :- वन भूमि	—	—	—	835	826	202	85	41	07	04	04	05	16	2025
5	नाप भूमि	किमोली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल योग:-	—	—	—	835	826	202	85	41	07	04	04	05	16	2025

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

राजि अधिकारी
परिचर्या पिण्डर राजि
नारायणबगड़

प्रभावित वन अधिकारी
प्रभासी वन अधिकारी
प्रभावित (चमोली)

राजस्व विभाग
R.S. विभाग

जिलाधिकारी
चमोली।

उपजिलाधिकारी
चमोली

प्रारूप-37

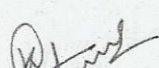
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में दिवालीखाल-किमोली मोटर मार्ग को किमोली-नारायणबगड़ तक जोड़ने वाले मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.522 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 9.100 किमी०।

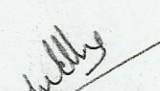
धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

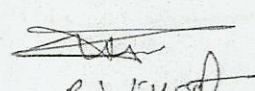
प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

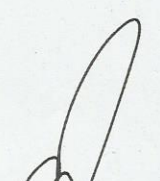

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

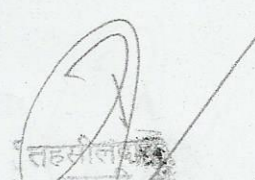

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

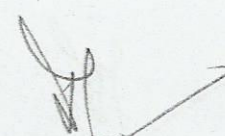

अधिष्ठापक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


R. S. J. P. V.


जिलाधिकारी
चमोली
जिलाधिकारी
चमोली।


प्रभागीय जिलाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वरा।


तहसील अधिकारी
चमोली
जिला चमोली


उपजिलाधिकारी
चमोली

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में दिवालीखाल - किमोली मोटर मार्ग को किमोली नारायणबगड़ तक जोड़ने वाले मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.522 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है:-

1.	ईको-क्लास श्रेणी	—	V
2.	हरियाली का घनत्व	—	0.5
3.	एन0पी0वी0 की दर प्रति है०	—	8,45,000.00
4.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल—		6.522
5.	कुल देय एन0पी0वी. की धनराशि—		55,11,090.00

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।